

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 49] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1977/साघ 12, 1898

No. 49] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1977/MAGHA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi the 1st February 1977

S.O. 60(E)—In exercise of the powers conferred by Section 18G and Section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely

- 1 (1) This Order may be called the Cement Control (First Amendment) Order, 1977.
- (2) It shall come into force with immediate effect
2. (a) In sub-clause (a) of clause 8 of the Cement Control Order, 1967 (hereinafter referred to as the said Order) for the figure "246.65" the figure "263.65" shall be substituted
- (b) In sub-clause (b) of clause 8 of the said Order, for the figure "237.65" the figure "254.65" shall be substituted
- (c) In sub-clause (c) of clause 8 of the said Order, for the figure "214.65" the figure "231.65" shall be substituted

[No F 1-20/76-Cem]
D. K. SAXENA Jr Secy

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

का० अ० 60 (अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 छ और धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 में अपेक्षित संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश देती है :—

1. (1) यह आदेश सीमेंट नियंत्रण (पहला संशोधन) आदेश 1977 कहा जायेगा।
(2) यह तत्काल से प्रवृत्त होगा।
2. (क) सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के नियम 8 के उपनियम (क) (जिसे इसके बाद उक्त आदेश प्रयुक्त किया जायेगा) में अंक "246.65" को अंक "263.65" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(ख) उक्त आदेश के नियम 8 के उपनियम (ख) में अंक "273.65" को अंक "254.65" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(ग) उक्त आदेश के नियम 8 के उपनियम (ग) में अंक "214.65" को अंक "231.65" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[स० एफ 1-20/76-सीमेंट]

दिनेश किशोर सक्सेना, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977